

MSTP/DBT/ine-223

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART-II,
SECTION 3, SUB-SECTION (ii)]
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
DEPARTMENT OF REVENUE
(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

25/2/16

No. 9/2016

NOTIFICATION

rekhs

New Delhi, dated the 25th February, 2016.

S.O. (E). - In exercise of the powers conferred by clause (46) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies for the purposes of the said clause, the Madhya Pradesh State AIDS Control Society a body constituted by the Government of Madhya Pradesh in respect of the following specified income arising to that Society, namely:-

- (a) amount received in the form of grants-in-aid from the Government of India; and
- (b) interest earned on such grants-in-aid.

2. This notification shall be deemed to apply for the period 01.06.2011 to 31.03.2013 and shall apply with respect to the Financial Years 2013-14, 2014-15 and 2015-16.

3. The notification shall be effective subject to the following conditions, namely:-

- (a) the Madhya Pradesh State AIDS Control Society does not engage in any commercial activity;
- (b) the activities and the nature of the specified income of the Madhya Pradesh State AIDS Control Society remain unchanged throughout the financial year; and
- (c) the Madhya Pradesh State AIDS Control Society files return of income in accordance with the provision of clause (g) of sub-section (4C) section 139 of the Income-tax Act, 1961.

4. The grants received by the society shall be received and applied in accordance with the prevailing rules and regulations.

[F.No.196/73/2012-ITA.I]



(Deepshikha Sharma)

Director to the Government of India

To,
The Manager,
Government of India Press,
Ring Road, Mayapuri Industrial Area,
(Near Rajouri Garden), New Delhi.

[भारत के राजपत्र के, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

संख्या ७९ /2016

अधिसूचना

नई दिल्ली, दिनांक 25 फरवरी, 2016.

का.आ.....(अ) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा, मध्य प्रदेश राज्य ऐड्स नियंत्रण सोसाइटी, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा गठित एक निकाय, को, उक्त सोसाइटी को उद्भूत होने वाली निम्नलिखित विनिर्दिष्ट आय के संबंध में उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित करती है, अर्थात:-

- (क) भारत सरकार से सहायता अनुदान के रूप में प्राप्त राशि; और
(ख) सहायता अनुदान पर प्राप्त ब्याज ;

2. इस अधिसूचना को 1.6.2011 से 31.03.2013 तक की अवधि के लिए लागू किया गया माना जाएगा और यह वित्तीय वर्ष 2013-14, 2014-15 और 2015-16 के लिए भी लागू होगी।

3. वह अधिसूचना निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन प्रभावी होगी; नामित:-

- (क) मध्य प्रदेश राज्य ऐड्स नियंत्रण सोसाइटी कोई भी वाणिज्यिक कार्यकलाप नहीं करती है;
(ख) मध्य प्रदेश ऐड्स सोसाइटी के कार्यकलाप और विनिर्दिष्ट आय का स्वरूप संपूर्ण वित्तीय वर्ष में अपरिवर्तनीय रहते हैं; और
(ग) मध्य प्रदेश ऐड्स सोसाइटी अपनी आय की विवरणी आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उपधारा (4ग) के खंड (छ) के उपबंध के अनुसार दायर करती है।

4. उक्त सोसाइटी को प्राप्त होने वाली अनुदानों की राशि को मौजूदा प्रचलित नियमों और विनियमों के अनुसार प्राप्त किया जाएगा और उपयोग में लाया जाएगा।

[फा.सं. 196/73/2012-आयकर नि-1]

दीपशिखा

(दीपशिखा शर्मा)

निदेशक, भारत सरकार

सेवा में,

प्रबंधक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
रिंग रोड, मायापुरी औद्योगिक क्षेत्र,
(राजौरी गार्डन के समीप), नई दिल्ली।